



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261549
CG-DL-E-11032025-261549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1111]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946

No. 1111]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

(आयकर)

का.आ. 1120(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः—

(क) बंधपत्र का नाम	-	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का दस वर्षीय शून्य कूपन बंधपत्र
(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि	-	दस वर्ष एक माह
(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी	-	31 मार्च, 2027 को या उससे पहले जारी किया जाएगा

(घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि	-	प्रत्येक बंधपत्र के लिए 1,00,000/ रुपये
(ङ) छूट	-	रु. 49,546/- प्रति बंधपत्र
(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या	-	दस लाख

[अधिसूचना सं. 19 /2025 फा.सं. 300164/1/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव